



कार्यालय आयुक्त(अंकेक्षण), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर,
OFFICE OF THE COMMISSIONER (AUDIT), CENTRAL GOODS & SERVICES TAX,
जी-105 न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर 342 001
G-105, NEW JODHPUR INDUSTRIAL AREA, JODHPUR - 342 001
e-mail: commcexjodh@rediffmail.com

फा.सं. I(22)03/प्रशा./ऑडिट/जेडीआर/2022


दिनांक .02.2022

कार्यालय सुरक्षा हेतु ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जी-105, न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर स्थित कार्यालय भवन की सुरक्षा के लिए 3 सुरक्षा गार्ड (भूतपूर्व सैनिक) उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकृत सुरक्षा सेवाप्रदाता/एजेन्सीयों से Online E-procurement द्वारा निविदाये आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का विवरण विभागीय वेबसाईट [http://eprocure.gov.in\(CPPPportal\)](http://eprocure.gov.in(CPPPportal))/ अथवा <http://cgstjaipur.gov.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. इस कार्यालय को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओ को, बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस विज्ञप्ति में किसी भी संशोधन/बदलाव का प्रकाशन केवल उक्त वेबसाईट्स से ही जारी किया जायेगा, न्यूज पेपर में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।


अधीक्षक प्रशासन (मु.)

प्रतिलिपि -

1. अधीक्षक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशन हेतु।
2. संपादक, राजस्थान पत्रिका, जोधपुर को उक्त निविदा सूचना, जोधपुर संस्करण में 64 स्क्वायर से. मी. तक के कॉलम में डी.ए.वी.पी. दर पर प्रकाशन हेतु।
3. नोटिस बोर्ड।



कार्यालय आयुक्त(अंकेक्षण), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर,
OFFICE OF THE COMMISSIONER (AUDIT), CENTRAL GOODS & SERVICES TAX,
जी-105 न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर 342 001
G-105, NEW JODHPUR INDUSTRIAL AREA, JODHPUR - 342 001
e-mail: commcexjodh@rediffmail.com

फा.सं. 1(22)03/प्रशा./ऑडिट/जेडीआर/2022


दिनांक .02.2022

कार्यालय सुरक्षा हेतु ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 (1, अप्रैल-2022 से 31, मार्च 2023) के लिए कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जी-105, न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर स्थित कार्यालय भवन की सुरक्षा के लिए 3 सुरक्षा गार्ड (भूतपूर्व सैनिक) उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकृत सुरक्षा सेवाप्रदाता/एजेन्सियों से Online E-procurement द्वारा निविदाये आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का विवरण विभागीय वेबसाईट [http://eprocure.gov.in\(CPPPportal\)/](http://eprocure.gov.in(CPPPportal)/) अथवा <http://cgstjaipur.gov.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. इस कार्यालय को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओ को, बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस विज्ञप्ति में किसी भी संशोधन/बदलाव का प्रकाशन केवल उक्त वेबसाईट्स से ही जारी किया जायेगा, न्यूज पेपर में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।


अधीक्षक(प्रशासन)

- 5- यदि सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर-भीतर कार्य नहीं संभाला जाता है अथवा सेवाप्रदाता कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवा पाता है अथवा performance security जमा नहीं करवाता है अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य निष्पादित करने की अनिच्छा लिखित में प्रस्तुत करता है तो उनके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि जब कर ली जायेगी तथा उनके अगले निम्न उत्तरदायी निविदाकर्ता (Next lower responsive Bidder) को न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता की दरों पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है।
- 6- निविदाकर्ता को चाहिए कि वह एनेकजर - II में उल्लेखित निबंधन एवं शर्तों से संतुष्ट होने पर ही अपनी निविदा प्रस्तुत करे। इस हेतु निविदादाता अनुलग्नक II के निबंधन एवं शर्तों पर पृष्ठ नम्बर अंकित कर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा अंतिम पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर मय मोहर के हस्ताक्षर करेगा तथा उसे तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करेगा। निविदा के साथ लगाए गए सभी दस्तावेजों पर भी पृष्ठ नम्बर अंकित कर प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के मय मोहर हस्ताक्षर होने चाहिए।
- 7- वितीय निविदा में दरें अंको व शब्दों दोनों रूपों में स्पष्टतः उल्लेखित होनी चाहिए। अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में प्रस्तुत दर को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 8- अपूर्ण भरी हुई निविदाएं या गलत सूचनाएं पाई जाने पर निविदाएं निरस्त कर दी जाएंगी।
- 9- सभी योग्य निविदाओं का तुलनात्मक चार्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा तथा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् सफल निविदादाता को यथानुसार सूचित कर दिया जाएगा।
- 10- सफल निविदादाता (फर्म) को आदेश प्राप्त होने के 10 दिवस की अवधि के भीतर-भीतर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।

निबंधन एवं शर्तें

1. एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सुरक्षाकर्मी केवल भूतपूर्व सैनिक ही हो जो 50 वर्ष की आयु से अधिक ना हो तथा स्वस्थ हो तथा उनके पूर्ववर्ती चरित्र एवं आचरण को सत्यापित करवाना होगा।
2. एजेन्सी को तैनात किये जाने वाले सुरक्षा कर्मियों के नाम, पते पूर्ण विवरण एवं पूर्व में जहां तैनात रहे थे के प्रमाण एवं उनके द्वारा जारी प्रशंसापत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।
3. एजेन्सी को, किसी भी समय, बिना कारण बताये विभाग द्वारा आपति होने पर वांछित किसी भी सुरक्षाकर्मी को तैनात करना या उन्हें हटाना होगा।
4. एजेन्सी को सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्रतिनिधि तैनात किये गये सुरक्षाकर्मियों के कर्तव्य के दौरान अनुशासन एवं दक्षता का निरीक्षण करेगा।
5. एजेन्सी को सुरक्षाकर्मियों के लिए निर्धारित वर्दी उनके नाम के बैज आदि प्रदान करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका उपयोग तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा उचित प्रकार से करेंगे। सुरक्षाकर्मी शिफ्ट प्रणाली के अनुसार प्रतिदिन 8 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे ताकि GST भवन की 24X7 सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
6. एजेन्सी अग्निशमन सुरक्षा कार्यों के सभी पहलुओं सहित प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड तैनात करेंगी। आगंतुकों का विवरण विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित दस्तावेजों के अनुसार रिकार्ड बनाना होगा तथा उन्हें उचित एवं सम्मानजनक रूप से सहयोग करना होगा।
7. एजेन्सी को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कारणवश किसी भी सुरक्षाकर्मी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, बेईमानी, चोरी, टूट-फूट, अवैधानिक कृत्य आदि के लिए एजेन्सी उत्तरदायी होगी तथा ऐसे किसी भी नुकसान के लिए विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी। एजेन्सी प्रत्यक्ष रूप सीधे ही अपने कर्मचारियों की किसी प्रकार की ड्यूटी, विवाद यथा दुर्घटना, बीमा क्लेम, लाभ, भत्ते आदि के लिए जिम्मेदार होगी एवं उनके द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की असावधानी से कार्यालय के सामान की चोरी या टूट-फूट, किसी भी तरह के दावों की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी। उक्त कृत्यों से होने वाले नुकसान की भरपाई एजेन्सी को किए जाने वाले मासिक भुगतान में से आनुपातिक आधार पर की जाएगी।
8. एजेन्सी को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कारणवश किसी भी सुरक्षाकर्मी को अन्य विभाग/संस्थान में प्रतिस्थापन करना चाहेगी तो विभाग की सहमति एवं पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
9. एजेन्सी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा तैनात किये गये सुरक्षाकर्मी अनुशासित हो तथा भारत सरकार/राज्य सरकारो या किसी संघ शासित प्रदेश के के हितो के लिए पूर्वाग्रह से संबंधित किसी भी गतिविधियों में भाग नहीं ले।
10. विभाग के निर्देशानुसार दिन-प्रतिदिन के कार्यों/सेवाओं के संबंध में विचार-विमर्श/ परामर्श किया जायेगा। सुरक्षा प्रणालियों के कुशल कामकाज के प्रस्तावों पर एजेन्सी द्वारा समय-समय पर विभाग की मंजूरी के साथ चर्चा विचार और कार्यान्वयन किया जायेगा।

11. एजेन्सी न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआई आदि के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगी। एजेन्सी के द्वारा तैनात कर्मियों से संबंधित या उनके कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना एवं इससे संबंधित किसी भी तरह के खर्चों के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। एजेन्सी को किसी भी कारण से विभाग द्वारा बिल के निपटान में देरी के बावजूद भी निर्धारित तिथि तक उनके द्वारा लगाये गये श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करना होगा। एजेन्सी अपने कर्मियों के बीमा के लिए जिम्मेदार होगी तथा सुरक्षा एजेन्सी विशेषरूप से विभिन्न कानूनों/अधिनियमों के अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
12. कार्यालय में किसी भी तरह की चोरी, हानि या अन्य अपराधों के मामलों में एजेन्सी जांच करेगी एवं विभाग को रिपोर्ट करेगी तथा एजेन्सी अपने स्तर पर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवायेगी यदि जहां कहीं आवश्यक हुआ तो विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो दोनों पक्षों की संयुक्त जांच आयोजित की जायेगी एवं जिम्मेदारी तय की जायेगी।
13. सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा जिम्मेदारियों के निर्वहन में होने वाले विलम्ब के कारण विभाग को होने वाले किसी भी नुकसान के मामले में, विभाग को एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल में से उचित राशि काटने एवं शांति लगाने का अधिकार होगा। सुरक्षा कर्मियों द्वारा निरन्तर चूक के मामलों में, विभाग को किसी भी समय, बिना कारण बताये अनुबंध समाप्त करने या किसी भी अन्य कार्यवाही का अधिकार होगा।
14. किसी भी सुरक्षाकर्मी के अवकाश पर होने, अनुपस्थित होने की स्थिति में एजेन्सी को उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। एवं विभाग द्वारा सुरक्षाकर्मी बदलवाने पर एजेन्सी को सुरक्षाकर्मी बदलना होगा।
15. विभाग को जब भी अस्थाई तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता होगी तो एजेन्सी को उन्हीं नियमों एवं शर्तों एवं दरों पर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाने होंगे। एजेन्सी द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मी ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित/सोया हुआ या अन्य अनियमित गतिविधियों में पाया जाता है तो विभाग एजेन्सी के बिल से अनुपातिक रूप से राशि काटने एवं जुर्माना लगाया जा सकता है।
16. एजेन्सी सुरक्षा डेस्क व्यवस्था बनाना होगा जिसमें उनके द्वारा तैनात कर्मियों के दैनिक आगमन एवं प्रस्थान समय का उपस्थिति रिकार्ड का रखरखाव करना होगा। एजेन्सी को सुरक्षाकर्मीयों के उपस्थिति रिकार्ड की सत्यापित प्रति मासिक बिल के साथ संलग्न करनी होगी।
17. अनुबंध की अवधि के दौरान सरकार द्वारा सुरक्षा कर्मियों के वेतन एवं भत्ते में वृद्धि होने/संशोधित होने की स्थिति में विभाग द्वारा एजेन्सी को बड़ी हुई राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा एजेन्सी को अनुबंध में तय राशि का ही भुगतान किया जायेगा किन्तु एजेन्सी को अपने कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।
18. एजेन्सी द्वारा तैनात किये जाने वाले सुरक्षाकर्मी पढ़ने-लिखने का न्यूनतम प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए तथा सुरक्षा डेस्क पर रखे गये रजिस्ट्रों में, कार्यालय में प्रवेश करने वाले आगन्तुकों के नाम, पता एवं आगमन एवं प्रस्थान समय का इन्द्राज करने में सक्षम हो।
19. एजेन्सी को नियम एवं शर्तों की व्याख्या के संबंध में विभाग का निर्णय एवं अनुबंध को मानने के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
20. एजेन्सी एवं विभाग के मध्य किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में विभाग को निर्णय लेने का अधिकार होगा जो मान्य होगा।
21. निर्देशों/अनुबंध या तथ्यों के छिपाने का कोई भी उल्लंघन करने की स्थिति में तुरन्त अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।
22. एजेन्सी समय-समय पर दिए निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

भुगतान की शर्तें

1. सेवाप्रदाता को प्रतिमाह की एक तारीख को आवश्यक रूप से दो प्रतियों में कार्यालय में मासिक बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। सेवाप्रदाता को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रचलित टीडीएस की कटौती कर यदि हो, भुगतान किया जाएगा। अधिकृत अधिकारी से संतोषजनक कार्य किए जाने संबंधित प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
2. सेवाप्रदाता को प्रतिमाह बिल के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा लगाये गये कामगारों को केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी एक्ट के तहत तय की गई मजदूरी की दरों के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया कर दिया गया है तथा पीएफ/ईएसआई व सेवाकर के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। उसे समयानुसार पीएफ ईएसआई तथा जीएसटी से सम्बन्धित चालान आदि दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। सेवाप्रदाता द्वारा प्रतिमाह इस कार्यालय में कार्य पर लगाये गये प्रत्येक श्रमिक का नाम, भुगतान की गई राशि, कटौती का विवरण, पी.एफ. खाते में जमा राशि एवं ई.एस.आई. की राशि का स्टेटमेंट प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा।

3. यदि किसी अपरिहार्य कारणोवश इस कार्यालय द्वारा मासिक मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में सेवाप्रदाता फर्म को अपने कर्मचारियों को समय पर पूर्ण भुगतान करना होगा।
4. यदि इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त हुई कि सेवाप्रदाता अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहा है तो उसके बिल/जमा करवाई गई performance security में से उनके मजदूरों को देय भुगतान की राशि काट कर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
5. सेवाप्रदाता को, वसूली की जाने वाली राशि की कटौती करके, यदि कोई हो तो, प्रतिमाह फर्म के बैंक खाते में बिल का भुगतान वेतन एवं लेखा कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं सीमा शुल्क, जयपुर द्वारा ई-पेमेन्ट से किया जायेगा।

मैं/हम उक्त नियम एवं शर्तों से सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर मय तिथि
नाम
फर्म का नाम
मोहर

तकनीकी निविदा

सुरक्षा सेवा की निविदा के लिए आवश्यक पूर्व-योग्यता निर्धारण हेतु प्रोफार्मा

01	एजेन्सी का नाम	
02	डायरेक्टर/पार्टनर/प्रोपराईटर का नाम	
03	पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाईल/फैक्स नम्बर	
04	सम्पर्क व्यक्ति का विवरण (नाम/पता/टेलिफोन नम्बर)	
05	एजेन्सी का विवरण (क्या एजेन्सी प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिप/कम्पनी है)	
06	आयकर पैन नम्बर (फोटोप्रति संलग्न करें) विगत 2 वर्ष की आयकर विवरणिका संलग्न करें।	
07	जीएसटी/सेवाकर पंजीकरण संख्या (फोटो प्रति संलग्न करें) विगत 2 वर्ष की सेवाकर विवरणिका संलग्न करें।	
08	क्या फर्म कॉन्ट्रैक्ट (रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत एवं अनुज्ञादारी है(प्रति संलग्न करें)	
09	रीजनल प्रोविडेंट फंड कार्यालय द्वारा आवंटित प्रोविडेंट फंड संख्या (प्रति संलग्न करें)	
10	ईएसआई पंजीकरण संख्या (प्रति संलग्न करें)	
11	सिक्युरिटी लाइसेंस सं. (प्रति संलग्न करें)	
12	गत दो वर्षों का अनुभव का विवरण (कृपया सरकारी/पब्लिक अण्डरटेकिंग का कार्यआदेश/सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
13	अन्य सरकारी/पब्लिक अण्डरटेकिंग जहां वर्तमान में कार्य लिया हो की सूची मय प्रमाण पत्र	
14	फर्म के कुल स्टॉफ/कर्मचारियों की संख्या	
15	धरोहर राशि का विवरण	

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार उक्त दी गई सूचनाएं पूर्ण एवं सही है। मैं/हम जानते हैं कि उक्त दिए गए विवरण में कोई भी सूचना या विवरण गलत पाया जाता है तो सुरक्षा सेवा के अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है, अमानत राशि जब्त की जा सकती है एवं भविष्य में हमें ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है।

हस्ताक्षर मय तिथि

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

फर्म का नाम

मोहर

निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है :-

1. Earnest Money Deposit की हस्ताक्षरित एवं स्केण्ड कॉपी।
2. पैन नं./सेवाकर/जीएसटी पंजीकरण (यदि हो) ईएसआई/ईपीएफ पंजीकरण/सिक्युरिटी लाइसेंस की हस्ताक्षरित एवं स्केण्ड कॉपी।
3. निविदा प्रस्तुत करने हेतु निविदा स्वीकृति पत्र एवं प्राधिकृत पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्केण्ड प्रति।
4. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शाषित प्रदेशों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है एवं किसी भी सरकार से, किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी लंबित नहीं है से संबंधित स्वयं प्रमाणित प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित प्रति।
5. श्रम आयुक्त द्वारा प्राप्त किये गये, श्रम लाइसेंस की हस्ताक्षरित प्रति।
6. पिछले 2 वर्ष की बैलेंस शीट की हस्ताक्षरित एवं स्केण्ड प्रति।
7. तकनीकी निविदा प्रपत्र की हस्ताक्षरित एवं स्केण्ड प्रति।

TENDER ACCEPTANCE LETTER
(To be given on Company Letter Head)

To,

Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender.

Tender Reference No: _____

Name of Tender / Work: -

Dear Sir,

1 . I/ We have downloaded / obtained the tender document(s) for the above mentioned 'Tender/Work' from the web site(s) namely:

as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).

2. I / We hereby certify that I / we have read the entire terms and conditions of the tender documents from Page No. _____ to _____ (including all documents like annexure(s), schedule(s), etc.), which form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby by the terms / conditions / clauses contained therein.

3. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organisation too has also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.

4. I / We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) / corrigendum(s) in its totality / entirety.

5. In case any provisions of this tender are found violated, then your department/ organisation shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty to reject this tender/bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, with Official Seal)